

कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद
(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)
(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)
तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

क्र./कॉलेज/A24P0148/

/2025,

भोपाल, दिनांक

/07/2025

आदेश

राज्य शासन के अनुमोदन उपरान्त मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-24 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में करते हुए आयुष्मति एज्युकेशन एण्ड सोशल सोसायटी के द्वारा संचालित श्री सत्य सॉई युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मेडिकल साइन्सेस, को सीहोर जिले में निम्नानुसार विषय तथा प्रवेश संख्या के आधार पर शिक्षण सत्र 2024-2025 (एक वर्ष) के लिए पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने की सशर्त अस्थायी अनुज्ञा प्रदान की जाती है।

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम	स्वीकृत सीट
01	M.M.L.T. (HAEMATOLOGY)	POST GRADUATE	05
02	MASTER OF PHYSIOTHERAPY(Ortho.)	POST GRADUATE	05
03	BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY	DEGREE	50
04	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DEGREE	50
05	MEDICAL LAB. TECHNICIAN	DIPLOMA	50
06	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	50
07	PHARMACY (AYURVED)	DIPLOMA	50
08	PHARMACY (HOMEOPATHIC)	DIPLOMA	50
09	YOGA	DIPLOMA	50
10	BLOOD TRANSFUSION	DIPLOMA	50
11	PARAMEDICAL OPHTHALMIC ASSISTANT	DIPLOMA	50

आवश्यक निर्देश :-

- संस्था को म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद के समस्त नियम-विनियम अनुसार प्रवेश तथा अन्य कार्यवाही संपन्न कर परिषद द्वारा जारी पाठ्यक्रम अनुसार शिक्षण करवाना होगा। पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में संस्था द्वारा परिषद द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि 13 अगस्त 2025 तक छात्रों के प्रवेश किए जा सकेंगे।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद के नियम-विनियम अनुरूप निर्धारित संख्या द्वारा महाविद्यालय में उपयुक्त/योग्य शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सत्र प्रारंभ होने के पूर्व की जाना आवश्यक होगा तथा परिषद को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।
- संस्था द्वारा म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा बनाये गये प्रवेश नियमों के अनुसार ही छात्रों के प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
- शासन/परिषद की ओर से समय-समय पर किए जाने वाले सामान्य एवं आकस्मिक निरीक्षण के दौरान संस्था को आवश्यक सहयोग प्रदान करना होगा एवं संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन के समय दी गई जानकारी जिसको कि शपथ पत्र के माध्यम से सत्यापित किया गया है उसमें यदि असत्यता पाई जाती है तो संस्था की मान्यता निरस्तीकरण के संबंध में एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।
- संस्था को उपरोक्त उल्लेखित समस्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों की विषयवार सत्यापित सूची (छात्र का नाम, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक अर्हता, प्रवेशित पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश क्र. एवं दिनांक, जन्मतिथि, निवास का पता, इत्यादि) निर्धारित तिथि 13 अगस्त 2025 तक म.प्र. सह-चिकित्सीय परिषद को अनिवार्य रूप से एम. पी. ऑनलाईन के माध्यम से जमा करानी होगी। निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार परिषद प्रतिदिन प्रति छात्र एक हजार का विलम्ब शुल्क प्राप्त कर सकेगी। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।
- मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित अधिकतम शिक्षण शुल्क के अनुसार ही संस्था को कार्यवाही करना आवश्यक होगा।
- उपरोक्त आदेश जारी होने के एक सप्ताह के भीतर संस्था को मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, के नाम से राशि रुपये सात लाख का एफडीआर /सावधि जमा की मूल प्रति न्यूनतम पाँच वर्ष की वैधता अवधि हेतु सुरक्षा निधि (एफडीआर) के रूप में जमा करना आवश्यक होगा।
- डिप्लोमा/डिग्री/पीजी सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश के पूर्व संस्था को संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करना आवश्यक होगा।

निरन्तर पृ.क्र. 2 पर....

Web site :- www.mppmc.ac.in

Email :- registrarmppparamedicalcouncil@gmail.com

Services us :- <https://paramedical.mponline.gov.in>

0755-2775768



कार्यालय, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

(M.P. PARAMEDICAL COUNCIL)

(A Statutory Body of the Government of Madhya Pradesh)

तृतीय तल, प्लेटिनम प्लाजा, माता मन्दिर रोड, भोपाल

(2)

9. निर्धारित समयावधि में सुरक्षा राशि में जमा कराये जाने का सत्यापन प्रमाण-पत्र मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद को प्रस्तुत करने में विफल होने पर, संस्था द्वारा प्रवेशित छात्रों के ऑनलाईन प्रवेश फार्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
10. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-44 (1) एवं (2) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को परिषद में नामांकन (पंजीयन) हेतु संस्था स्तर से समस्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार संस्था से उत्तीर्ण छात्रों का मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय नामांकन (पंजीयन) की सम्पूर्ण जबाबदारी संस्था की होगी।
11. मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2000 (क्रमांक 1, सन 2001) की धारा-31 (1) (2) एवं (3) में उल्लेखित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता या संस्था में कर्मचारीवृन्द, उपस्कर, वास-सुविधा, प्रशिक्षण तथा उसमें दिये जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर सह-चिकित्सीय संस्था को सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के संचालन बाबत दी गई अनुज्ञा किसी भी समय समाप्त की जा सकेगी।
12. संस्था द्वारा संचालित / अनुमति प्राप्त सह-चिकित्सीय पाठ्यक्रमों की शैक्षणिक सत्र 2025-2026 की निरन्तरता, नवीन पाठ्यक्रम बाबत संस्था को परिषद द्वारा निर्धारित तिथि तक मान्यता शुल्क, ऑनलाईन जमा करना आवश्यक होगा। जिसके लिये संस्था जिम्मेदार होगी।

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

भोपाल, दिनांक 15/07/2025

पृष्ठांकन क्र./कॉलेज/A24P0148/2034/2025,

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निज सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं पदेन अध्यक्ष, मप्र0 सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. आयुक्त, आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. संचालक, नर्सिंग सह चिकित्सा, संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
8. आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल।
9. कलेक्टर, जिला-सीहोर।
10. कुलसचिव, श्री सत्य सॉई युनिवर्सिटी, सीहोर।
11. अधिष्ठाता, स्वशासी गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला- सीहोर।
13. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला- सीहोर।
14. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण जिला- सीहोर।
15. Director, National Information Center, M.P., State Center Vindhyaachal Bhawan, Bhopal
16. संचालक/प्राचार्य, श्री सत्य सॉई युनिवर्सिटी ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड मेडिकल साइन्सेस, एस एच-18 भोपाल इन्दौर रोड अपोजिट ऑयलफेड प्लांट, पचामा, जिला- सीहोर।
17. संचालक, एम.पी. ऑनलाईन, डेवलपमेंट कार्यालय, तृतीय तल, स्टेट आईटी पार्क, अब्बास नगर, नियर आर.जी.वी. गाँधी नगर, भोपाल (उपरोक्तानुसार प्रवेश फार्म सम्बन्धी कार्यवाही हेतु सूचनार्थ)
18. आदेश फाईल / परीक्षा कक्ष, स्थानीय कार्यालय।

रजिस्ट्रार

मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद

Web site :- www.mppmc.ac.in

Email :- registrarmppparamedicalcouncil@gmail.com

Services us :- <https://paramedical.mponline.gov.in>

0755-2775768



Scanned with OKEN Scanner